

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
35/2020	धारा 91 एल.आर.एक्ट	05.08.2020	29.01.2021

उत्नवान सरकार बनाम रामसिंह पुत्र सुरजमान जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का पांशरोली ने सन्वत् 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि बाके गाम मेघपुर की राजकीय भूमि ख0न0 236 कुल एक्का 4864 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.08 है0 भूमि पर अतिक्रमी रामसिंह पुत्र सुरजमान जाति अहीर निवासी मेघपुर ने अवैध रूप से कोठी बनाकर पक्का निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का गहनता से गनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में कोठी बनाकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से कोठी बनाकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.44/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.36 की 50 गुणा जुर्माना राशि 19.00/- बतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।

प.तो. सं. 4 वर्ष 2020-21 के प.स. 93  
पर 18/- की मांग कायम की गई।

(मातृहमी/बुहाना)  
तहसील राजस्व लेखाकार

Suman  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील बुहाना